मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-10

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी, 2005 (फाल्गुन 3, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री प्रेमलाल मिश्र तथा श्री हसनात सिद्दीकी के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुनादेवी सदस्य श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील तथा श्री हमीद काजी ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में विधान सभा की कार्यवाही 10.45 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.50 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा द्वितीय चक्र में किसी भी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 51 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय पुस्तक मेले में महात्मा गांधी के आपत्तिजनक लेखों संबंधी पुस्तक की बिक्री को प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये तथा अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर वापस अपने आसन पर चले गये)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले की नगर पालिका क्षेत्र इटारसी के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका भवन में गंदगी का साम्राज्य होने,

(डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री अजय सिंह, सदस्य हाथ में कागज लेकर गर्भगृह में आये तथा सदन के पटल पर दस्तावेज रखना चाहा, जिसकों माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति नही दी। एवं अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर माननीय सदस्य वापस अपने-अपने आसन पर चले गये)

(2) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य ने होशंगाबाद शहर के तीन मार्गों से भारी वाहन गुजरने एवं बाय-पास रोड का निर्माण कराये जाने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड नगर स्थित पुराने किले में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने,

(4) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने सीधी जिले में बरगवां से परसोना से मढ़ा मार्ग की जर्जर हालत होने,

(5) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर जिले के विधानसभा क्षेत्र गिर्द में विद्युत का प्रदाय दिन में कराने, तथा

(6) श्रीमती रेखा रत्नाकर, सदस्य ने शाजापुर जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंधक द्वारा फर्जी बिल पर सामान क्रय किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती जमुना देवी, सर्वश्री राजनारायण सिंह पूरनी, हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के बघवाड़ा ग्राम में हुई हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रकरण में शासन द्वारा न्यायिक जांच न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) श्री मनोहर लाल राठौर, सदस्य ने हरदा जिले के टिमरनी क्षेत्र में हैण्डपंप खराब होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन के उत्तर से संतुष्ट होकर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे।

5. वक्तव्य

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खण्डवा जिले में एक हजार मेगावाट का नया ताप विद्युत गृह स्थापित करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार

(1) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम भमोड़ी में खेल मैदान बनाये जाने; तथा

(ख) ग्राम खुसरूढ़ाणा में शाला भवन बनाये जाने,

(2) श्री छोटेलाल सरावगी, सदस्य की शहडोल जिले के -

(क) ग्राम पंचायत बुढ़ार में पेयजल योजना बनाई जाकर टंकी निर्माण कराये जाने; तथा

(ख) बुढ़ार नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ कराये जाने, एवं

(3) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की सीधी जिले के -

(क) ग्राम सरई स्थित कन्या आश्रम को हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम मझौली के पश्चिम टोला में हैंडपंप लगाये जाने,

(ग) ग्राम तिलखोहरा में विद्युतीकरण कराये जाने,

(घ) ग्राम सिकरा के आदर्श भवन मोहल्ले में विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने,

(ङ) ग्राम मैरहा एवं पडरहा में विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने,

(च) ग्राम पोडी वस्तुआ, डुहकुरिया, नगन्ती, हरदी व ददरी आदि के राजस्व अभिलेख में सुधार कर पट्टा प्रदान कराये जाने ; तथा

(छ) ग्राम ठाढ़ीपाथर में 11 के.व्ही. विद्युत लाईन लगाये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

7. वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष ने अपना भाषण पूर्ण किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

2.03 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 28 फरवरी 2005 (फाल्गुन 9, 1926) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.